

360/राज्य कर
कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(जीएसटी ऑडिट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 18 सितम्बर, 2026

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
समस्त संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसटी ऑडिट हेतु जोनवार / टर्नओवर करदाताओं का अलग-अलग श्रेणी में निर्धारण करते हुए ऑडिट हेतु चयनित करदाताओं के सन्दर्भ में।

मुख्यालय स्तर से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी ऑडिट हेतु करदाताओं का चयन करते हुए टैक्स आडिट की कार्यवाही हेतु सूची प्रेषित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसटी ऑडिट हेतु अपर आयुक्त (विधि), राज्य कर, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित मानकों के आधार पर 1500 करदाताओं / फर्मों का चयन किया गया है जिसमें से प्रत्येक जोन को 75 आडिट फर्मों की सूची सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त तथा संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट) की लॉगिन आई0डी0 पर ऑडिट कार्यवाही हेतु तथा विभागीय वेबसाइट comtax.up.nic.in पर सूचनार्थ उपलब्ध करायी जा रही है तथा इस पत्र के साथ जोन के चयनित ऑडिट फर्मों की सूची संलग्न है।

उपरोक्तानुसार वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स आडिट हेतु चयनित पंजीकृत करदाताओं की ऑडिट समयान्तर्गत करने की समय सीमा दिनांक 30.06.2027 निर्धारित की जाती है।

टैक्स ऑडिट शाखा में तैनात अधिकारी अधिनियम में स्थापित व्यवस्था के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चयनित करदाताओं को निर्धारित समय अवधि में गुणवत्तापूर्ण आडिट करना सुनिश्चित करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 25 प्रतिशत करदाता फर्मों का आडिट हेतु चयन जोनल स्तर से प्राप्त अनुसंशा के क्रम में कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में अनुभाग के पत्र संख्या 345 दिनांक 14.09.2026 के द्वारा प्रत्येक जोन से 100 फर्मों की सार्टलिस्ट करते हुए सूची निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें सूचना अनुभाग को दिनांक 18.09.2026 तक प्राप्त कराने के निर्देश दिये गये थे। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र में वर्णित निर्धारित मानकों के अन्तर्गत फर्मों की सार्टलिस्ट करते हुए सूची निम्नांकित प्रारूप में दिनांक 18.09.2026 तक सॉफ्टकापी (Excel) में ई-मेल आई0डी0 ctgstaudithqlu-up@up.gov.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त पत्र आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
SHASHANKA SHEKHAR MISHRA
Date: 17-09-2026 12:50:03

(शशांक शेखर मिश्रा)
अपर आयुक्त (विधि)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि : संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय की ई-मेल पर चयनित सूची इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित जोन के जोनल अपर आयुक्त तथा संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट) की लॉगिन आई0डी0 तथा विभागीय वेबसाइट comtax.up.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

2058

श्रीमती पूरिया
हस्ताक्षर करती हैं।

उपस्थित, राज्य कर,
दिनांक 18-09-26

अपर आयुक्त (विधि)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।